Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/02/2019

प्रेषण संख्या:- C-4849-MDMA-2018-19-DT-06-02-2019-CK-GR-71-1ST-INST-REF-GO-207-68-3-19-43-2012-DT-05-02-2019

आवंटन आदेश संख्या:- 001-LEKHA-CK-GR-71-2018-19

अनुदान संख्या:- 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - सामान्य शिक्षा
201 - प्रारम्भिक शिक्षा -
09 - मध्याह्न भोजन हेतु किचेन निर्माण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	आगरा-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
2	कानपुर नगर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
3	वाराणसी-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
4	गाजियाबाद-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
5	अम्बेदकर नगर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	125000000 125000000	125000000 125000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ पचास लाख

06.02.19
(जनार्दन प्रसाद)
लेखाकार
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ० प्र०, लखनऊ

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक

संख्याः–207/68–3–19–43/2012

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी, आगरा, कानपुरनगर,
गाजियाबाद एवं अम्बेडकर नगर।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2019

विषयः–अक्षयपात्र संस्था के माध्यम से 05 जनपदों में केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/754/2017–18 दिनांक 19 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों (वाराणसी, आगरा, कानपुरनगर, गाजियाबाद एवं अम्बेडकर नगर) में स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से 05 केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु रू0–881.48 लाख x5=4407.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अनुदान सं0–71 के लेखा शीर्षक 4202–01–201–09–मध्यान्ह भोजन हेतु किचेन निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0–2500.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0–1250.00 लाख (रू0 बारह करोड पचास लाख मात्र) (प्रत्येक जनपद को रू0–250.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(2) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लेटर ऑथरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में निर्गत किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है

(11) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराने/केन्द्रीय किचेन की स्थापना कराये जाने के संबधं में निर्गत शासनादेश सं0–1843/79–6–2016, दिनांक–23.12.2016 में वर्णित व्यवस्था/शर्त के अधीन केन्द्रीय किचेन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक–30.03.2018 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–75/11–दस–19 दिनांक–29 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–207(1)/अड़सठ–3–2019–304/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3– मण्डलायुक्त, संबंधित जनपद।
4– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
5– श्रम आयुक्त कानपुर ।
6– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
8– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
9– वरिष्ठ शोध अधिकारी, (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) बेसिक शिक्षा विभाग ।
10– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
11– वित्त ई–11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
12– बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
13– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
14– सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, संबंधित जनपद।
15– जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद।
16– वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) संबंधित जनपद।
17– प्रतिनिधि, अक्षयपात्र फाउन्डेशन, वृन्दावन मथुरा।
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

संख्याः–207/68–3–19–43/2012

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी, आगरा, कानपुरनगर,
गाजियाबाद एवं अम्बेडकर नगर।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2019

विषयः–अक्षयपात्र संस्था के माध्यम से 05 जनपदों में केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/754/2017–18 दिनांक 19 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों (वाराणसी, आगरा, कानपुरनगर, गाजियाबाद एवं अम्बेडकर नगर) में स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से 05 केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु रू0–881.48 लाख x5=4407.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अनुदान सं0–71 के लेखा शीर्षक 4202–01–201–09–मध्यान्ह भोजन हेतु किचेन निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0–2500.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0–1250.00 लाख (रू0 बारह करोड पचास लाख मात्र) (प्रत्येक जनपद को रू0–250.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(2) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लेटर ऑथरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में निर्गत किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है

(11) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराने/केन्द्रीय किचेन की स्थापना कराये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–1843/79–6–2016, दिनांक–23.12.2016 में वर्णित व्यवस्था/शर्त के अधीन केन्द्रीय किचेन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक–30.03.2018 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–75/11–दस–19 दिनांक–29 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–207(1)/अड़सठ–3–2019–304/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3– मण्डलायुक्त, संबंधित जनपद।
4– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
5– श्रम आयुक्त कानपुर ।
6– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
8– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
9– वरिष्ठ शोध अधिकारी, (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) बेसिक शिक्षा विभाग ।
10– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
11– वित्त ई–11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
12– बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
13– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
14– सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, संबंधित जनपद।
15– जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद।
16– वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) संबंधित जनपद।
17– प्रतिनिधि, अक्षयपात्र फाउन्डेशन, वृन्दावन मथुरा।
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।